कार्यालय नगर निगम, देहरादून।
अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

इन्वर्स्टर समिट के दृष्टिगत नगर निगम, देहरादून द्वारा हरिद्वार बाईपास रोड के सैन्टर वर्ज पर स्ट्रीट लाईट व्यवस्था हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा ए श्रेणी के पंजीकृत रजिस्टर्ड फर्मों से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा ई–निविदा के माध्यम से निम्नलिखित तिथि को आमन्त्रित की जाती है। विवरण www.uktenders.gov.in में प्राप्त की जा सकती है।

कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	कार्य की अवधि	निविदा करने की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
हरिद्वार रोड बाई पास आई0एस0बी0टी0फ्लाई ओवर से अजबपुर फ्लाई ओवर तक सैन्टर वर्ज पर स्ट्रीट लाईट पोल एवं अन्डर ग्राउण्ड केबिल, पैनल आदि विद्युत लाईन लगाने का कार्य।	रु 324.28/–	रु 7.00/–	एक माह	दि0–06.11.2023 (12.00 अपरान्ह) से दि0–14.11.2023 (2.00 अपरान्ह) तक	तकनीकी बिड–14.11.2023 (3:00 बजे अपरान्ह)

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक :–625/न0नि0दे0दून0/2023–24 दिनांक:–04/11/023

प्रतिलिपिः–
1. मा0 महापौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्पादक हिन्दुस्तान कृपया निविदा को न्यूनतम स्थान में अपने अगले अंक में प्रकाशित कर बिल एवं समाचार की तीन प्रतियां बिल भुगतान हेतु नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. सम्पादक पंजाब केसरी कृपया निविदा को न्यूनतम स्थान में अपने अगले अंक में प्रकाशित कर बिल एवं समाचार की तीन प्रतियां बिल भुगतान हेतु नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त कार्य की निविदा सम्बन्धी समस्त ई टैण्डर की वेब साईड www.uktenders.gov.in अपलोड करें।
5. नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय पर चस्पा करने हेतु।

04/11/023

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून।

<u>ई–निविदा प्रपत्र</u>

हरिद्वार रोड़ बाईपास आई0एस0बी0टी0 फ्लाई ओवर से अजबपुर फ्लाई ओवर तक सैन्टर वर्ज पर स्ट्रीट लाईट पोल एवं अन्डर ग्राउन्ड केबिल, पैनल आदि विद्युत लाईन लगाने हेतु।

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 5000.00
जी0एस0टी0 अतिरिक्त–18%

निविदा प्रपत्र अपलोड की तिथिः–दिनांक 06.11.2023 अपरान्ह 12:00 से 14.11.2023 अपरान्ह 2:00 बजे तक
तकनीकी बिड खोलने की तिथि दिनांक 14.11.2023 अपरान्ह 03:00 बजे।
तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

नगर निगम, देहरादून।

(रणजीत सिंह राणा)
प्रकाश निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

नगर निगम, देहरादून के आई0एस0बी0टी0 फ्लाई ओवर से अजबपुर फ्लाई ओवर तक पोल व अन्डर ग्राउन्ड केबिल व विद्युत सम्बन्धी लगाने हेतु।

तकनीकी बिड हेतु नियम एवं शर्ते

1. निविदादाता को उत्तराखण्ड शासन विद्युत सुरक्षा निदेशालय में 'ए' श्रेणी में पंजीकृत होने का लाईसेन्स देना अनिवार्य होगा।
2. फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रमाणित उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
3. सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23) का टर्नओवर प्रमाण पत्र जिसमें तीनों वर्षों का ओसत टर्न ओवर तीन करोड से कम नही होना चाहिए देना अनिवार्य होगा।
4. सात लाख रूपये की धरोहर राशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, देहरादून के नाम तीन वर्ष की वैद्यता के साथ देनी अनिवार्य होगी, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
5. बैलेन्स शीट गत तीन वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23) का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित करके देना अनिवार्य होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 का एल0टी0, एच0टी0 विद्युत पोल व लाईन व इससे सम्बन्धित विद्युत कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का देना अनिवार्य होगा, जिसमें तीनों वर्षों मिलाकर औसतन कम से कम तीन करोड का कार्य किया हो।
7. निविदादाता को निविदा में अपलोड किये गये सभी वांछित अभिलेखों को मूल रूप (हार्ड कापी) में नगर निगम देहरादून के कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
8. तकनीकी बिड डॉक्यूमेन्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या फर्म/कम्पनी की मोहर के साथ हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. सभी तकनीकी प्रपत्रों की मूल प्रति व सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 निविदा खोलने से पहले नगर निगम देहरादून में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही होगा।
10. फर्म को किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/नगर निकाय में ब्लैक लिस्ट न होने का रू0 100.00 का नोटरी शपथ पत्र देना होगा।
11. पोल व लाईनें लगाने के लिये दरें सभी कर व कार्टेज सहित देनी होगी, अन्य कोई शुल्क विभाग द्वारा देय नही होगा।
12. पोलों की संख्या आवश्यकता के आधार पर घट/बढ़ सकती है।
13. पोल, अन्डर ग्राउन्ड केबिल, पैनल आदि को लगाने के पश्चात तीन वर्ष तक निःशुल्क मेन्टीनेन्स करनी होगी।
14. स्ट्रीट लाईट पोल आई0एस0ओ0 प्रमाणित तथा स्पेसिफिकेशन के अनुसार अधीकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
15. केबिल हैवल्स, पौलिकैब, के0ई0आई0, ऐकंर, ए कैटेगेरी, आई0एस0आई0 मार्क का लगाना अनिवार्य होगा।
16. कर्मचारियों के सुरक्षा दुर्घटना बीमा/ई0पी0एफ0 आदि की जिम्मेवारी स्वयं निविदादाता की होगी।
17. निविदादाता का ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र एवं नवीनतम मासिक चालान की प्रति संलग्न करना होगा
18. तकनीकी बिड में सफल होने वाली फर्म की ही वित्तीय बिड खोली जायेगीं। निविदा स्वीकृत होने पर निविदा राशि का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में तीन वर्षों की वैद्यता के साथ जमा करना होगा।
19. किसी भी व समस्त निविदा को बिना कराण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त देहरादून में निहित होगा।
20. स्ट्रीट लाईट पोल व केबिल आदि लगाने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत निरीक्षक उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(रणजीत सिंह राणा)
प्रकाश निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

P.T.O....

21. न्यूनतम निविदादाता द्वारा कार्य न करने की दशा में न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा रक्षाधन/धरोहर राशि जब्त कर द्वितीय/तृतीय निविदादाता से सहमति के उपरान्त न्यूनतम दरों पर कार्य करवाया जा सकता है।
22. फर्म तथा नगर निगम के मध्य विवाद होने की दशा में उसका निपटारा नगर निगम स्तर पर किया जायेगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

04/11/2023

अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम, देहरादून।